



73वाँ संविधान संशोधन एवं ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का एक विधिक व सामाजिक अध्ययन

डॉ. नम्रता पात्रे¹

¹ विधि संकाय, आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, भारत

Article Info

Article History:

Published: 11 Oct 2026

Publication Issue:

Volume 03, Issue 10
October 2026

Page Number:

228-230

Corresponding Author:

डॉ. नम्रता पात्रे

Abstract:

यह शोध-पत्र 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण भारत में महिलाओं के राजनीतिक व सामाजिक सशक्तिकरण का विधिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ विकेंद्रीकरण को शासन का मूल आधार माना गया है, वहीं ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण महिलाएँ निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं से वंचित रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गईं, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले (विकासखंड—तिल्दा, धरसीवा, आरंग एवं अभनपुर) के विशेष संदर्भ में महिला प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी, प्रशासनिक दक्षता तथा सामाजिक प्राथमिकताओं में आए बदलावों का परीक्षण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आरक्षण के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल एवं नशाबंदी जैसे बुनियादी सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालाँकि, 'सरपंच-पति' या प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व, विधिक साक्षरता की कमी और पितृसत्तात्मक दबाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। अंततः, यह लेख महिला प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य प्रशासनिक प्रशिक्षण और विधिक जागरूकता के माध्यम से पंचायती राज में उनकी वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत सुझाव प्रदान करता है।

Keywords: 73वाँ संविधान संशोधन, महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज, अनुच्छेद 243D, रायपुर जिला, ग्रामीण स्वशासन, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (सरपंच-पति)

1. प्रस्तावना

भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है, जहाँ लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार विकेंद्रीकरण और जनभागीदारी पर टिका हुआ है। महात्मा गांधी का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे बीस लोगों द्वारा संचालित नहीं हो सकता, बल्कि इसकी शुरुआत निचले स्तर यानी हर गाँव के लोगों द्वारा होनी चाहिए। भारत ने लोकतांत्रिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद भारत में लोकतांत्रिक संरचना सुदृढ़ हुई, परंतु समाज की आधी आबादी—महिलाओं—का राजनीतिक जीवन में प्रतिनिधित्व लंबे समय तक नगण्य रहा।

पितृसत्तात्मक व्यवस्था, सामाजिक रूढ़िवादिता और सीमित शिक्षा के कारण ग्रामीण महिलाएँ सार्वजनिक जीवन और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया से कटी रहीं। इसी विषमता को दूर करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का विधिक प्रावधान किया गया। प्रस्तुत शोध-पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले (विकासखंड—तिल्दा, धरसीवा, आरंग एवं अभनपुर) के विशेष संदर्भ में महिला आरक्षण के विधिक स्वरूप, उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन तथा समाज पर पड़े सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करता है।

2. संवैधानिक एवं विधिक ढाँचा (73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992)

भारतीय संविधान ने प्रारंभ से ही समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर भेद न करने (अनुच्छेद 15), तथा सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर (अनुच्छेद 16) की गारंटी दी है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में नया भाग-9 (अनुच्छेद 243 से 243O) जोड़ा गया।

- **अनुच्छेद 243D (पंचायतों में आरक्षण):** डी. डी. बसु के अनुसार, अनुच्छेद 243D पंचायतों के प्रत्येक स्तर (ग्राम, जनपद और जिला पंचायत) में महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा सामान्य वर्ग की महिलाओं पर समान रूप से लागू होता है। इसके अतिरिक्त, यह आरक्षण केवल साधारण सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों के अध्यक्ष (सरपंच/अध्यक्ष) पदों पर भी अनुपातिक रूप से लागू होता है।
- **राज्य स्तरीय विस्तार:** छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत महिलाओं के लिए इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण संस्थाओं में महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

3. रायपुर जिले के संदर्भ में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

रायपुर जिले के विभिन्न विकासखंडों (आरंग, अभनपुर, धरसीवा, एवं तिल्दा) में आरक्षित सीटों के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएँ सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आई हैं। विधिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आरक्षण केवल एक संख्यात्मक सुधार नहीं, बल्कि इसने ग्रामीण नेतृत्व के प्रतिमानों को बदला है।

(क) राजनीतिक सशक्तिकरण और प्रशासनिक अनुभव

आरक्षण प्रावधानों ने महिलाओं को औपचारिक राजनीति के मंच पर ला खड़ा किया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अब ग्राम सभा की बैठकों का संचालन कर रही हैं, विकास कार्यों की योजनाएँ बना रही हैं और वित्तीय प्रबंधन में भाग ले रही हैं। अनुच्छेद 243G के तहत पंचायतों को प्राप्त शक्तियों और अनुच्छेद 243H के तहत वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए महिला प्रतिनिधि स्वायत्त निर्णय-निर्माण की दिशा में अग्रसर हैं।

(ख) सामाजिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन

पुरुष प्रधान पंचायतों की तुलना में महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण समाज की बुनियादी और संवेदनशील समस्याओं को प्राथमिकता दी है। रायपुर जिले में महिला सरपंचों एवं सदस्यों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष कार्य किए गए हैं:

1. **शिक्षा एवं स्वास्थ्य:** प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (MDM) की गुणवत्ता सुधारना और कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
2. **जल एवं स्वच्छता:** गाँवों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा घर-घर शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना।
3. **सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन:** बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, एवं घरेलू हिंसा के विरुद्ध सामाजिक चेतना फैलाना।
4. **आर्थिक स्वावलंबन:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन कर महिलाओं को मनरेगा तथा अन्य आयवर्धक योजनाओं से जोड़ना।

4. व्यावहारिक चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

विधिक संरक्षण और संवैधानिक Mandate के बावजूद ग्रामीण स्तर पर महिला आरक्षण के पूर्ण सुफल प्राप्त करने में निम्नलिखित बाधाएँ विद्यमान हैं:

1. **'सरपंच-पति' या प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व:** कई ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि केवल कागजों पर या नाममात्र की प्रमुख होती हैं, जबकि वास्तविक प्रशासनिक व नीतिगत निर्णय उनके पति, पिता या पुरुष रिश्तेदार लेते हैं।
2. **प्रशासनिक व कानूनी साक्षरता का अभाव:** महिलाओं में पंचायती राज नियमों, वित्तीय प्रक्रियाओं और कानूनी अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण की कमी पाई जाती है।

3. **पितृसत्तात्मक सामाजिक दबाव:** सामाजिक रूढ़िवादिता और परिवार का नियंत्रण महिलाओं की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है।
4. **वित्तीय एवं संस्थागत सीमाएँ:** पंचायतों के पास पर्याप्त अपने वित्तीय स्रोत न होना तथा उच्च प्रशासनिक स्तर से अपेक्षित सहयोग न मिलना भी एक बड़ी बाधा है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष: शोध का निष्कर्ष यह दर्शाता है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू महिला आरक्षण ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र और लैंगिक न्याय की आधारशिला रखी है। यद्यपि 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' और प्रशासनिक साक्षरता की कमी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी आरक्षण ने ग्रामीण महिलाओं को एक पहचान, मंच और आत्म-विश्वास प्रदान किया है।

सुझाव:

1. **अनिवार्य क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण:** निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व और समय-समय पर प्रशासनिक, विधिक और वित्तीय प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
2. **प्रॉक्सी व्यवस्था पर विधिक रोक:** 'सरपंच-पति' प्रथा को रोकने के लिए कड़े प्रशासनिक व विधिक दंडात्मक नियम लागू किए जाएं ताकि केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही आधिकारिक बैठकों में भाग लें।
3. **डिजिटल व विधिक साक्षरता अभियान:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों (जैसे धारा 498A, घरेलू हिंसा अधिनियम, एवं पंचायत अधिकार) के प्रति जागरूक किया जाए।

संदर्भ (References)

1. कश्यप, (2019). *ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियाँ एवं विकास कार्य*.
2. बसु, डी. डी. (2023). *भारत का संविधान: एक परिचय* (Constitutional Law of India).
3. भौमिक, सौम्या (2023). *समानता बनाम सशक्तिकरण: भारतीय विधानमंडल में महिलाएं*.
4. हुसैन, सादिया (2022). *संसद में महिलाओं का प्रदर्शन: एक मात्रात्मक अध्ययन (1999-2019)*.
5. हेरेडिया, रुडोल्फ सी. (2012). *होल्टिंग अप हाफ द स्काई: रिजर्वेशन फॉर विमेन इन इंडिया*.